

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

मांग संख्या 59

उच्चतर शिक्षा विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व	7681.18	6182.15	13863.33	10996.00	5694.00	16690.00	9796.00	8410.00	18206.00	13100.00	8812.00	21912.00	
पूँजी	100.00	...	100.00	
जोड़	7781.18	6182.15	13963.33	10996.00	5694.00	16690.00	9796.00	8410.00	18206.00	13100.00	8812.00	21912.00	
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.65	59.44	60.09	3.00	72.90	75.90	3.00	72.90	75.90	3.00	78.21	81.21
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04
सामान्य शिक्षा													
विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा													
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग													
3.01 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	2202	3676.93	3977.78	7654.71	3885.00	3450.86	7335.86	3719.85	3903.59	7623.44	4556.77	4118.89	8675.66
3.02 घटाइए-सामाजिक अवसंरचना विकास निधि से पूरी की गई राशि	2202	-87.08	...	-87.08	-93.25	...	-93.25
<i>निवल</i>		<i>3589.85</i>	<i>3977.78</i>	<i>7567.63</i>	<i>3885.00</i>	<i>3450.86</i>	<i>7335.86</i>	<i>3626.60</i>	<i>3903.59</i>	<i>7530.19</i>	<i>4556.77</i>	<i>4118.89</i>	<i>8675.66</i>
4. राज्य सरकारों को डिग्री कालेजों हेतु सहायता	3601	9.99	...	9.99
	3602	0.01	...	0.01
<i>जोड़</i>		<i>10.00</i>	...	<i>10.00</i>
5. विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार	3601	250.01	250.01	...	2250.01	2250.01	...	2250.00	2250.00
6. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद	2202	24.56	26.00	50.56	25.20	26.90	52.10	25.20	57.12	82.32	30.60	37.89	68.49
7. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	2202	3.47	9.46	12.93	4.95	7.86	12.81	4.95	7.31	12.26	6.30	7.80	14.10
8. ग्रामीण विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद	2202	2.50	1.40	3.90	3.61	1.27	4.88	3.61	1.27	4.88	4.50	1.37	5.87
9. भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला	2202	2.41	6.57	8.98	3.33	6.96	10.29	3.33	6.33	9.66	4.32	6.84	11.16
10. भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद	2202	2.73	3.90	6.63	3.59	3.72	7.31	3.59	3.72	7.31	4.50	3.97	8.47
11. शास्त्री भारत कनाडाई संस्थान	2202	...	2.77	2.77	...	2.77	2.77	...	2.77	2.77	...	2.77	2.77
12. शैक्षिक ऋण संबंधी व्याज सस्मिडी	2202	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	640.00	...	640.00
13. न्यायाधिकरणों, प्रत्यायन प्राधिकरण, एनसीएचईआर और राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना	2202	40.00	...	40.00	50.00	...	50.00

<http://indiabudget.nic.in>

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
14. अन्य कार्यक्रम	2202	1.69	3.08	4.77	1.59	3.27	4.86	1.59	3.27	4.86	1.59	3.27	4.86
जोड़-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा		3627.21	4030.96	7658.17	4467.27	3753.62	8220.89	4168.87	6235.39	10404.26	5308.58	6432.80	11741.38
दूरस्थ शिक्षा													
15. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	2202	85.75	...	85.75	90.00	1.00	91.00	90.00	1.00	91.00	90.00	1.00	91.00
16. कामतवेलथ ऑफ लर्निंग	2202	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00
17. गैर हिन्दी भाषी राज्यों/सं.रा.क्षे. के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्तियां	2202	...	0.25	0.25	...	0.92	0.92	...	0.92	0.92	...	0.92	0.92
	3601	1.41	1.41	...	1.41	1.41	...	1.41	1.41
	3602	0.08	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08	0.08
	जोड़	...	0.25	0.25	...	2.41	2.41	...	2.41	2.41	...	2.41	2.41
18. कालेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति	2202	58.85	...	58.85	108.00	...	108.00	108.00	...	108.00	162.00	...	162.00
जोड़-दूरस्थ शिक्षा		144.60	4.25	148.85	198.00	7.41	205.41	198.00	7.41	205.41	252.00	7.41	259.41
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी													
19. आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	2202	270.88	...	270.88	810.00	...	810.00	450.00	...	450.00	848.70	...	848.70
भाषा विकास													
20. हिन्दी निदेशालय	2202	9.25	8.87	18.12	9.00	10.44	19.44	9.00	10.44	19.44	11.70	11.17	22.87
21. वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग	2202	4.09	2.88	6.97	4.50	2.70	7.20	4.50	2.70	7.20	5.40	2.91	8.31
22. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल	2202	6.45	14.23	20.68	7.20	12.61	19.81	7.20	13.76	20.96	7.65	14.52	22.17
23. राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद	2202	19.00	...	19.00	18.00	...	18.00	18.00	...	18.00	21.15	...	21.15
24. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान और क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	2202	21.95	11.36	33.31	33.90	10.77	44.67	33.90	10.77	44.67	30.40	11.36	41.76
25. राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद	2202	1.50	...	1.50	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
26. आधुनिक भारतीय भाषाएं	2202
	3601	...	0.65	0.65
	जोड़	...	0.65	0.65
27. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल (सीआईसीटी), चेन्नई	2202	8.59	...	8.59	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00	16.00	...	16.00
28. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	2202	48.92	36.18	85.10	36.00	31.72	67.72	36.00	36.98	72.98	49.50	40.06	89.56
29. राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान	2202	12.00	...	12.00	10.80	...	10.80	10.80	...	10.80	10.80	...	10.80
30. मानव मूल्यां में शिक्षा	2202	1.92	...	1.92	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70
जोड़-भाषा विकास सामान्य		133.67	74.17	207.84	140.10	68.24	208.34	140.10	74.65	214.75	154.60	80.02	234.62
31. पुस्तक संवर्धन	2202	10.99	22.76	33.75	12.60	16.41	29.01	12.60	16.07	28.67	14.40	17.50	31.90
32. भारतीय राष्ट्रीय आयोग/यूनेस्को	2202	6.83	10.89	17.72	11.10	11.83	22.93	11.10	11.99	23.09	12.00	12.06	24.06
33. आयोगना मानदंड http://indiabudget.nic.in	2202	10.00	12.57	22.57	9.90	11.04	20.94	9.90	13.49	23.39	12.60	14.57	27.17

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
34. प्रशासन	2202	...	5.64	5.64	...	6.99	6.99	...	6.99	6.99	...	7.17	7.17
जोड़-सामान्य		27.82	51.86	79.68	33.60	46.27	79.87	33.60	48.54	82.14	39.00	51.30	90.30
जोड़-सामान्य शिक्षा		4204.18	4161.24	8365.42	5648.97	3875.54	9524.51	4990.57	6365.99	11356.56	6602.88	6571.53	13174.41
तकनीकी शिक्षा													
35. सामुदायिक पालिटेक्निक	2203	48.14	...	48.14	144.00	...	144.00	36.00	...	36.00	10.00	...	10.00
	3601	130.80	...	130.80
	3602	5.00	...	5.00
	<i>जोड़</i>	<i>48.14</i>	<i>...</i>	<i>48.14</i>	<i>144.00</i>	<i>...</i>	<i>144.00</i>	<i>36.00</i>	<i>...</i>	<i>36.00</i>	<i>145.80</i>	<i>...</i>	<i>145.80</i>
36. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	790.10	987.63	1777.73	774.00	825.66	1599.66	774.00	997.71	1771.71	990.00	1091.68	2081.68
37. छात्रवृत्तियां/एप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण	2203	39.00	18.22	57.22	37.49	18.22	55.71	37.49	18.22	55.71	40.20	18.22	58.42
38. भारतीय प्रबंध संस्थान	2203	98.00	27.17	125.17	74.80	34.00	108.80	74.80	34.00	108.80	112.50	36.43	148.93
39. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर	2203	75.00	185.28	260.28	80.00	141.43	221.43	95.00	172.65	267.65	104.00	186.41	290.41
40. अपंगों के लिए पालिटेक्निक	2203	3.22	...	3.22	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60	4.50	...	4.50
41. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, म्वालियर	2203	18.00	6.80	24.80	20.00	7.29	27.29	20.00	8.50	28.50	30.00	9.38	39.38
42. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	2203	48.00	7.25	55.25	30.00	5.72	35.72	30.00	2.86	32.86	45.00	7.35	52.35
43. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर	2203	41.00	...	41.00	30.00	...	30.00	45.00	...	45.00	40.00	...	40.00
44. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (डीएंडएम) कांचीपूरम	2203	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00	70.00	...	70.00
45. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, मुम्बई	2203	37.00	19.50	56.50	37.00	28.69	65.69	37.00	28.69	65.69	37.00	34.44	71.44
46. राष्ट्रीय फोर्ज और फाउंड्री प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	9.00	8.00	17.00	12.00	9.97	21.97	12.00	11.14	23.14	14.00	13.17	27.17
47. योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय, दिल्ली	2203	8.00	18.00	26.00	9.00	16.32	25.32	9.00	13.16	22.16	10.00	16.03	26.03
48. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर)	2203	21.46	48.52	69.98	27.00	36.71	63.71	16.20	43.53	59.73	31.50	54.00	85.50
49. संत लॉगोबाल इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	15.00	6.00	21.00	15.00	20.36	35.36	15.00	12.00	27.00	16.00	23.03	39.03
50. आई.एस.एम., धनबाद	2203	85.00	42.32	127.32	89.00	33.47	122.47	89.00	33.47	122.47	100.00	38.68	138.68
51. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड	2203	1.95	7.60	9.55	3.00	6.96	9.96	3.00	7.18	10.18	3.00	7.80	10.80
52. भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना (ईएपी)	2203	3.00	...	3.00	219.98	...	219.98	79.98	...	79.98	210.00	...	210.00
	3601	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	50.00	...	50.00
	3602	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	4.00	...	4.00
	<i>जोड़</i>	<i>3.00</i>	<i>...</i>	<i>3.00</i>	<i>220.00</i>	<i>...</i>	<i>220.00</i>	<i>80.00</i>	<i>...</i>	<i>80.00</i>	<i>264.00</i>	<i>...</i>	<i>264.00</i>
53. केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सीआईटी कोकराझार	2203	23.99	...	23.99	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
54. भारतीय नवीन सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	14.00	...	14.00	29.00	...	29.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
55. नवीन योजना और वास्तुशिल्प विद्यालय	2203	15.00	...	15.00	24.00	...	24.00	24.00	...	24.00	25.00	...	25.00
56. इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय	2203	...	22.50	22.50	...	25.00	25.00	...	42.75	42.75	...	25.00	25.00
57. नए आईआईटी की स्थापना	2203	248.50	...	248.50	400.00	...	400.00	250.00	...	250.00	500.00	...	500.00
58. भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान	2203	215.00	...	215.00	300.00	...	300.00	450.00	...	450.00	580.00	...	580.00
59. मौजूदा पोलिटेक्निकों के उन्नयन/नए पोलिटेक्निकों की स्थापना	2203	16.30	...	16.30	220.00	...	220.00	80.00	...	80.00	10.00	...	10.00
60. मौजूदा पोलिटेक्निकों के उन्नयन/नए पोलिटेक्निकों की स्थापना हेतु राज्यों को सहायता	3601	449.00	...	449.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	736.00	...	736.00
	3602	10.00	...	10.00
	जोड़	449.00	...	449.00	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	746.00	...	746.00
61. नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	2203	14.80	...	14.80	25.21	...	25.21	16.81	...	16.81	40.00	...	40.00
62. नए भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना	2203	4.00	...	4.00	25.00	...	25.00	13.00	...	13.00	60.00	...	60.00
63. पोलिटेक्निकों में महिला छात्रावास	2203	41.80	...	41.80	108.00	...	108.00	108.00	...	108.00	5.00	...	5.00
	3601	93.90	...	93.90
	3602	10.00	...	10.00
	जोड़	41.80	...	41.80	108.00	...	108.00	108.00	...	108.00	108.90	...	108.90
64. सीमान्त क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	2203	9.00	...	9.00	0.90	...	0.90
65. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	2203	200.00	...	200.00	198.00	1.00	199.00	198.00	1.00	199.00	207.00	1.00	208.00
66. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान	2203	908.00	523.90	1431.90	810.00	507.51	1317.51	785.00	507.51	1292.51	819.00	559.58	1378.58
67. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास अनुसंधान पार्क	6202	100.00	...	100.00
68. राज्य इंजीनियरी संस्थाओं का विस्तार और उन्नयन	2203	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
69. भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना	2203	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00
70. पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय संस्थान, ईटानगर	2203	0.01	26.84	26.85	0.01	36.33	36.34	0.01	39.65	39.66
71. अन्य कार्यक्रम	2203	...	0.03	0.03	0.91	0.37	1.28	0.91	0.37	1.28	0.90	0.37	1.27
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास													
72. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर	2552	7.00	33.00	40.00
जोड़-तकनीकी शिक्षा		3589.26	1961.72	5550.98	4266.03	1745.52	6011.55	3822.83	1971.07	5793.90	5210.22	2162.22	7372.44
73. पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के फायदे वाली परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान													
73.01 विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा हेतु प्रावधान	2552	509.63	...	509.63	493.03	...	493.03	693.42	...	693.42
73.02 उच्चतर शिक्षा हेतु प्रावधान	2552	22.00	...	22.00	22.00	...	22.00	28.00	...	28.00

मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012			
	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
(छात्रवृत्तियों सहित)													
73.03 सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी हेतु प्रावधान	2552	90.00	...	90.00	50.00	...	50.00	94.30	...	94.30	
73.04 भाषा विकास हेतु प्रावधान	2552	13.90	...	13.90	13.90	...	13.90	15.40	...	15.40	
73.05 पुस्तक संवर्धन हेतु प्रावधान	2552	1.40	...	1.40	1.40	...	1.40	1.60	...	1.60	
73.06 योजना मानकों हेतु प्रावधान	2552	1.10	...	1.10	1.10	...	1.10	1.40	...	1.40	
73.07 तकनीकी शिक्षा हेतु प्रावधान	2552	439.97	...	439.97	398.17	...	398.17	449.78	...	449.78	
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के फायदे वाली परियोजनाओं/योजनाओं हेतु प्रावधान		1078.00	...	1078.00	979.60	...	979.60	1283.90	...	1283.90	
74. वास्तविक वसूलियां	2202	-1.32	-0.02	-1.34	
	2251	-11.59	-0.23	-11.82	
जोड़		-12.91	-0.25	-13.16	
कुल जोड़		7781.18	6182.15	13963.33	10996.00	5694.00	16690.00	9796.00	8410.00	18206.00	13100.00	8812.00	21912.00
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. व. वा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय*													
1. सामान्य शिक्षा	22202	4203.35	...	4203.35	5652.97	...	5652.97	4994.07	...	4994.07	6605.88	...	6605.88
2. तकनीकी शिक्षा	22203	3582.26	...	3582.26	4266.03	...	4266.03	3822.83	...	3822.83	5210.22	...	5210.22
3. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	-10.94	...	-10.94	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	7.00	...	7.00	1078.00	...	1078.00	979.60	...	979.60	1283.90	...	1283.90
जोड़		7781.67	...	7781.67	11000.00	...	11000.00	9799.50	...	9799.50	13103.00	...	13103.00
<i>*शहरी विकास मंत्रालय में निर्माण परिव्यय का सम्मिलन</i>													
मांग संख्या 102	22202	0.49	...	0.49	4.00	...	4.00	3.50	...	3.50	3.00	...	3.00

1. **सचिवालय:** यह व्यवस्था सचिवालयी खर्च के लिए है। प्रस्तावित बजट सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों की खरीदारी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की खरीदारी, सलाहकारी शुल्क के साथ-साथ प्रशिक्षण आदि के लिए भी अपेक्षित है जो मंत्रालय के दोनों विभागों में ई-गवर्नेन्स जैसे कार्यक्रमों के सुदृढीकरण के लिए जरूरी है।

2. **विवेकाधीन अनुदान:** विवेकाधीन अनुदान मानव संसाधन विकास मंत्री के क्षेत्राधिकार में रखा जाता है जो स्कीम के नियम के अनुसार योग्य मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

3. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.):** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना विश्वविद्यालयों में मानकों का निर्धारण एवं समन्वयन करने के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम के द्वारा १९५६ में की गई थी। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी पात्र विश्वविद्यालयों और सम विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान करता है, परन्तु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की सहायता के लिए अलग से प्रावधान बनाया जा रहा है।

4. **डिग्री कालेजों की स्थापना हेतु राज्य सरकारों को सहायता:** इस स्कीम में शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे निर्धारित जिलों जहां पर उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम हैं, में से प्रत्येक में डिग्री कालेज की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है।

5. **विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार:** विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में संशोधन हेतु राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के बावत देयता पूरी करने के लिए २२५०.०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

6. **भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद:** समाज विज्ञान में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्थापित यह परिषद् अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देती है, फेलोशिप प्रदान करती है, अनुसंधान पद्धतियों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है, विदेशी विद्वानों तथा संस्थाओं के साथ अनुसंधान हेतु सहयोग करती है, शोधार्थियों को दस्तावेजी सेवाएं प्रदान करती है। सेमिनारों तथा कार्यशालाओं के आयोजन और अनुसंधान प्रकाशन के लिए अनुदान प्रदान करती है। परिषद अनुमोदित अनुसंधान संस्थाओं को अनुरक्षण तथा विकास अनुदान भी देती है।

7. **भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् (आई सी एच आर):** भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की स्थापना इतिहास अनुसंधान के लिए निधियां उपलब्ध कराने और इतिहास के उद्देश्य एवं वैज्ञानिक अध्ययन की पूर्ति करने के लिए की गई थी। यह परिषद् अध्येतावृत्तियों, अनुसंधान एवं यात्रा अनुदान प्रदान करती है और शोध प्रकाशनों हेतु सहायता प्रदान करती है। इतिहास अनुसंधान के सुदृढीकरण हेतु परिषद अकादमिक सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करती है या उनमें सहायता करती है।

8. **ग्रामीण विश्वविद्यालय/ राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद्:** (एनसीआरआई) हैदराबाद में केन्द्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त सोसाइटी के रूप में पंजीकृत इस परिषद का उद्देश्य शिक्षा के सम्बन्ध में महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर ग्रामीण उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म योजना की चुनौतियों का सामना किया जा सके और गांधीवादी बुनियादी शिक्षा और नई तालीम के कार्यक्रमों में लगी संस्थाओं का समेकन एवं नेटवर्क किया/बनाया जा सके।

9. **भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला:** यह संस्थान चुनिन्दा विषयों जैसे मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, समाज विज्ञानों तथा प्राकृतिक विज्ञानों आदि में ज्ञान की उन्नति संबंधी अनुसंधान और सृजनात्मक विचारों का संवर्धन करता है। यह संस्थान प्रत्येक वर्ष उच्च अध्ययन के लिए फेलोशिप प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से सम्बन्धित ज्ञान तथा छात्रवृत्ति हेतु कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

10. **भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, दिल्ली:** यह परिषद दर्शनशास्त्र तथा सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देती है। परिषद द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों में फेलोशिप प्रदान करना, सेमिनारों, शैक्षिक सम्मेलनों का आयोजन करना, यात्रा अनुदान प्रदान करना और शिक्षा संबंधी सहायता प्रदान करना, शोध परियोजनाएं प्रायोजित करना तथा इसके उद्देश्यों से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित करना शामिल हैं।

11. **शास्त्री भारत कनाडा संस्थान:** शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान की स्थापना भारत तथा कनाडा की सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से १९६८ में की गई थी जिसका उद्देश्य मुख्यतः शिक्षण कार्यक्रमों को सुसाध्य बनाते हुए भारत तथा कनाडा के बीच समझबूझ को बढ़ावा देना है। दोनों सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौते के तहत दोनों देशों में संस्थान के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

12. **शिक्षा ऋण ब्याज सहायता योजना:** ऐसे छात्रों की संख्या काफी अधिक है जो संसाधनों के अभाव के कारण व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। सरकार का प्रस्ताव ऐसे विद्यार्थियों को उनकी वित्तीय कठिनाईयों को दूर करने हेतु कुछ सहायता उपलब्ध कराने का है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि गरीब होने के कारण कोई भी व्यावसायिक शिक्षा से वंचित न रहे, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित शिक्षा ऋण योजना के तहत बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज सहायता देने की एक योजना कार्य कर रही है।

13. **न्यायाधिकरणों, प्रत्यायन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय वित्त कॉर्पोरेशन की स्थापना:** उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को पुनः तैयार करने के लिए कई सुधार संबंधी उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अधिनिर्णायक निकायों की स्थापना करना ताकि उच्चतर शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के मुद्दों का फास्ट-ट्रेक, त्वरित निपटान किया जा सके, इस प्रयोजनार्थ एक अनिवार्य प्रत्यायन प्रणाली तथा संस्थागत संरचना की व्यवस्था करना, उच्चतर शिक्षा में मानक निर्धारण तथा नीति निर्धारण हेतु एक सर्वसमावेशी निकाय की स्थापना करना और उच्चतर शिक्षा में निवेश तथा शैक्षिक ऋणों के पुनर्वित्तपोषण के लिए अग्रिम निधियन के प्रयोजनार्थ एक वित्तीय निकाय सृजित करना शामिल है। इन सुधारमूलक पहलों हेतु निधियन की व्यवस्था की गई है।

14. **अन्य कार्यक्रम:** इनमें भारतीय विश्वविद्यालय संघ, अखिल भारतीय महत्व की उच्चतर शिक्षा संस्थाएं, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरों, आयकर की वापसी, भारतीय विज्ञान, दर्शन एवं संस्कृति की इतिहास परियोजना हेतु सहायता अनुदान देने का प्रावधान शामिल है।

15. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय:** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष १९८५ में एक संसदीय अधिनियम के तहत की गई थी जिसका उद्देश्य जनसंख्या के सभी वर्गों विशेषकर सुविधाविहीन वर्गों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करना, सतत शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान एवं कौशल का स्तरोन्नयन; महिलाओं, पिछड़े क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों आदि में रहने वाले लोगों जैसे विशिष्ट लक्षित वर्गों के लिए उच्चतर शिक्षा के विशेष कार्यक्रम शुरू करना तथा मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की वृद्धि में सहयोग किया है तथा ड्यू के माध्यम से इन राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता का एक पृथक प्रावधान जो ड्यू के अपने कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता से पृथक है, रखा गया है।

16. **कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग:** कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की स्थापना राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुखों द्वारा १९८८ में की गई थी जिसका मुख्यालय बैंकूर में है। इसका अधिदेश- राष्ट्रमंडल के देशों में दूरस्थ शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई क्षमता का हर स्तर पर उपयोग करते हुए शिक्षण संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर अध्ययन के अवसरों की सुलभता सृजित करना तथा उनका विस्तार करना है।

17. **गैर हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति एवं अन्य छात्रवृत्तियों से संबंधित स्कीम:** हिन्दी में मैट्रिकोत्तर अध्ययन हेतु गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों से संबंधित छात्रवृत्ति स्कीम के कार्यान्वयन का उद्देश्य गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के अध्ययन को बढ़ावा देना एवं इन राज्यों की सरकारों को शिक्षण तथा अन्य मदों, जिसके लिए हिन्दी की जानकारी आवश्यक होती है, के लिए योग्य कर्मचारी उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत मैट्रिकोत्तर से स्नातकोत्तर स्तर के प्रतिभावान छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

18. **कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति:** केन्द्रीय सेक्टर के तहत संचालित इस योजना के तहत कॉलेजों और विश्वविद्यालय प्रणाली में उच्चतर शिक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों में से कम से कम २ प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था है। छात्रवृत्ति राशि ई-बैंकिंग के माध्यम से सीधे ही लाभार्थियों को भेज दी जाती है ताकि कोई विलम्ब न हो।

19. **आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन:** देश के मानव संसाधन से जुड़ी प्रतिभाओं के अभिनिर्धारण एवं पोषण और अध्येताओं की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अध्ययन माड्यूलों के जरिए जीवनपर्यन्त अध्ययन हेतु एक प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। इस स्कीम में बौद्धिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग, औपचारिक अथवा अनौपचारिक पद्धति के माध्यम से अध्येताओं द्वारा प्राप्त जानकारी के प्रमाणीकरण के साथ-साथ देश के मानव संसाधन से जुड़ी क्षमताओं, योगताओं एवं प्रतिभा से संबंधित डाटाबेस के प्रणालीबद्ध संकलन की परिकल्पना की गई है।

20. **केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय:** केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना १९६० में एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी जिसके चार क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, कलकत्ता, गुवाहाटी तथा चैन्नई में स्थित है, और जिसका उद्देश्य हिन्दी भाषा का सम्पर्क भाषा के रूप में प्रचार-प्रसार एवं विकास करना है और यह 'द्विभाषी/त्रिभाषी शब्दावली' का प्रकाशन, 'पत्राचार पाठ्यक्रम' 'हिन्दी लेखकों को पुरस्कार' इत्यादि जैसी स्कीमों को संचालित करता है।

21. **वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग:** वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना १९६१ में की गई थी जिसका उद्देश्य हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों का विकास करना है। आयोग विश्वविद्यालय स्तर पर भारतीय भाषाओं को अध्ययन के माध्यम के रूप में परिवर्तित करने को सुविधाजनक बनाने के लिए हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तैयार करने संबंधी योजना संचालित करता है और क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार करने के लिए राज्य स्तरीय अकादमियों के साथ यह तालमेल करता है।

22. **केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा:** 'केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल' की स्थापना १९ मार्च, १९६० को एक पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी और इसके क्षेत्रीय केन्द्र दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी और शिलांग में स्थित हैं। यह संस्थान इन कार्यों के लिए उत्तरदायी है- किसी विशिष्ट भाषा के प्रयोग वाले क्षेत्र में हिन्दी का प्रचार-प्रसार तथा हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाना और इसका शिक्षण देना, जनजातीय भाषाओं का सर्वेक्षण, सेवारत हिन्दी शिक्षकों को पत्राचार के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना तथा राज्य सरकार, हिन्दी के प्रचार-प्रसार से जुड़े एजेंटों तथा अन्य एजेंसियों द्वारा नियुक्त शिक्षकों हेतु अल्पकालिक प्रबोधन पाठ्यक्रम चलाना। केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल हिन्दी के प्रोन्नयन के उद्देश्य से विदेशों में हिन्दी के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी स्कीम का संचालन भी करता है।

23. **राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद:** राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद ने सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों, पुस्तक निर्माण एवं प्रकाशन, पत्राचार पाठ्यक्रम जैसी स्कीमों के माध्यम से उर्दू भाषा और अरबी तथा फारसी भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए १.४.१९९६ से स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करना शुरू किया है।

24. **केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान:** केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना जुलाई, १९६९ में मैसूर में मुख्य परिसर के साथ की गई थी और इसके सात क्षेत्रीय भाषा केन्द्र भुवनेश्वर, गुवाहाटी, लखनऊ, मैसूर, पटियाला, पुणे तथा सोलन <http://indiabudget.nic.in>

में स्थित हैं। यह संस्थान भारत सरकार की भाषा नीति को विकसित/कार्यान्वित करने में सहयोग करता है और भाषा विभूषण, भाषा विज्ञान, भाषा तकनीकी तथा समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान संचालित करके भारतीय भाषाओं के विकास को समेकित करता है। यह विभिन्न भाषाओं के विद्यालय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। शहरी विकास मंत्रालय के बजट में निर्माण कार्यों के लिए २ करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

25. **राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्द्धन परिषद:** राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्द्धन परिषद की स्थापना अप्रैल, १९९४ में सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सिंधी साहित्य प्रकाशित करके/सेमिनार/संगोष्ठियां आयोजित करके सिंधी भाषा को विकसित, प्रोन्नत और प्रचार करने के उद्देश्य से की गई थी।

27. **केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल भाषा संस्थान, चेन्नई:** इस संस्थान की स्थापना चेन्नई, तमिलनाडु में की गई है जिसका उद्देश्य शास्त्रीय तमिल भाषा का संरक्षण एवं विकास करना है। 'तमिल भाषा का विकास' नामक योजना को भी इस योजना में सम्मिलित किया गया है जिसमें (i) तमिल भाषा के विशिष्ट अध्येताओं हेतु प्रमाणपत्र सम्मान (ii) तमिल भाषा प्रोन्नयन बोर्ड, (iii) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में तमिल भाषा विकास हेतु उत्कृष्टता केन्द्र (iv) गैर तमिल भाषी क्षेत्रों में उच्च/ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति प्रदान करना और (v) माध्यमिक विद्यालयों में तमिल भाषा के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु सुविधाएं प्रदान करना शामिल है।

28. **राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान:** राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना १९७० में की गई थी और अब इसे एक समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया है। इसकी स्थापना संस्कृत में परंपरागत अध्ययन और अनुसंधान का संरक्षण, प्रचार और आधुनिकीकरण करने तथा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान द्वारा स्थापित संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां और प्रमाणपत्र प्रदान करता है और विद्वानों को उनके मूल/अनुसंधान कार्य के प्रकाशन हेतु और दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान करता है। यह संस्थान, संस्कृत भाषा के विकास हेतु विभिन्न स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु एक नोडल एजेंसी है।

29. **राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान:** इसकी स्थापना वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्पराओं का संरक्षण और विकास करने के लिए अगस्त, १९७७ में की गई थी। यह विभिन्न कार्यक्रम और कार्यक्रमलाप चला रहा है जिनमें वैदिक संस्थाओं और विद्वानों को सहायता, फेलोशिप प्रदान करना, वेद सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करना और प्रकाशन निकालना आदि शामिल हैं।

30. **मानवीय मूल्यों में शिक्षा:** यह योजना स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की योजना को स्थानांतरित कर दी गई है।

31. **पुस्तक प्रोत्साहन:** भारत सरकार द्वारा १९५७ में स्थापित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास अच्छे साहित्य का सृजन करता है तथा इसके लिए प्रोत्साहन देता है और आम लोगों को सस्ती कीमत पर ऐसे साहित्य उपलब्ध कराता है। भारतीय पुस्तकों और लेखन को प्रोत्साहन और इसकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेता है।

32. **भारतीय राष्ट्रीय आयोग/यूनेस्को:** यूनेस्को का सदस्य होने के नाते भारत को यूनेस्को कार्यक्रम के लिए अपना अंशदान करना होता है। इस प्रावधान का उपयोग यूनेस्को से संबद्ध कार्यक्रमों के लिए किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय के बजट में यूनेस्को हाउस के निर्माण के लिए १.०० करोड़ रूपए का प्रावधान किया जा रहा है।

इसमें ओरोविले फाउंडेशन के लिए प्रावधान भी शामिल है जिसका भारत सरकार ने ओरोविले (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, १९८० के अनुसार १९८० में सीमित अवधि के लिए प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और इसे ओरोविले प्रतिष्ठान अधिनियम, १९८८ को हस्तांतरित कर दिया।

33. **आयोजना मानदंड:** राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय: यह एक स्वायत्त संगठन है जिसका उद्देश्य शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन में अनुसंधान शुरू करना, उसे प्रोत्साहित करना तथा समन्वित करना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना, अन्य एजेंसियों, संस्थाओं तथा संगठनों के साथ सहयोग के लिए केन्द्र तथा राज्यों के मुख्य स्तर के अधिकारियों तथा वरिष्ठ स्तर के प्रशासकों को प्रशिक्षण और प्रबोधन देना, अन्य देशों, विशेष तौर पर एशियाई क्षेत्र के देशों को राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु सहायता प्रदान करना तथा दस्तावेजों, पत्रिकाओं और पुस्तकों को तैयार करना, मुद्रित करना एवं प्रकाशित करना, अन्य देशों के साथ शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव और कुशलता का आदान-प्रदान करना तथा इन उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए तुलनात्मक अध्ययन करना है। इस संस्थान को वर्ष २००६-०७ के दौरान सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग: 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था आयोग का गठन ११ नवम्बर, २००४ को किया गया था। यह आयोग (i) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार को अल्पसंख्यकों की शिक्षा से सम्बन्धित उस मामले पर सलाह देगा जो इसे विचारार्थ भेजा जाए; (ii) अल्पसंख्यकों को अपनी पसन्द की संस्था स्थापित करने और उसे संचालित करने के अधिकारों से वंचित करने अथवा उल्लंघन करने से सम्बन्धित विनिर्दिष्ट शिकायतों और अनुसूचित विश्वविद्यालय से सम्बद्धन के बारे में विवाद की जांच पड़ताल करेगा और अपने निष्कर्ष कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार को सूचित करेगा और (iii) आयोग के किसी एक अथवा सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यथा आवश्यक संबंधित अथवा प्रासंगिक कार्यों को करेगा।

34. **अभिशासन:** इनमें निम्नलिखित हेतु प्रावधान शामिल हैं (क) विदेशों में स्थित शैक्षिक संस्थाएं, तथा (ख) सेमिनारों, समिति की बैठकों आदि पर खर्च/गैर-सरकारी सदस्यों हेतु टी.ए./डी.ए..

35. **सामुदायिक पॉलिटैक्रिक स्कीम:** सामुदायिक पॉलिटैक्रिक स्कीम प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता स्कीम के रूप में १९७८-७९ में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य स्कूल छोड़ने वाले छात्रों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य लाभवंचित वर्गों को रोजगार दिलाने/स्व-रोजगार द्वारा अपने सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। बेहतर कवरेज और पहुंच तथा साधारण उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस स्कीम के पुनर्गठन तथा इसे संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।

36. **भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान:** प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, १९६१ के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में खडगपुर, मुम्बई, मद्रास, कानपुर, दिल्ली, गुवाहाटी और रूडकी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई है। <http://indiabudget.nic.in>

इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना, संगत क्षेत्र में अनुसंधान करना, तथा शिक्षा को बढ़ावा देना और ज्ञान का प्रसार करना है।

37. **छात्रवृत्तियां/प्रशिक्षुता प्रशिक्षण:** क्रम संख्या ५१ पर देखें।

38. **भारतीय प्रबंधन संस्थान:** प्रबंधन में शैक्षिक प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'उत्कृष्ट केंद्रों' के रूप में अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर और कोच्चीकोडे में ६ भारतीय प्रबंध संस्थानों की स्थापना की थी। ये संस्थान स्नातकोत्तर कार्यक्रम, फैलोशिप कार्यक्रम, प्रबंधन विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रम चला रहे हैं। सरकार ने शिलांग (मेघालय) में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित किया है जिसने शैक्षिक सत्र २००८-०९ से पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए हैं।

39. **भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर:** भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की स्थापना वर्ष १९०९ में की गई थी जिसका उद्देश्य इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी एवं आधारभूत विज्ञानों के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करना तथा अनुसंधान कार्य करना है।

40. **विकलांगों के लिए पॉलिटैक्रिकस:** इस स्कीम का उद्देश्य शारीरिक रूप से विकलांग (अस्थि विकलांग, आंशिक रूप से मूक व बधिर) को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है।

41. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर:** भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर की स्थापना व्यापक प्रबंधकीय कौशलों सहित सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से की गई है। इस संस्थान को २००१ में सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।

42. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद:** सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास हेतु भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद की स्थापना की गई। इस संस्थान को वर्ष २००१ में सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

43. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर:** सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाईन तथा विनिर्माण में शिक्षा, शोध करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने जबलपुर में एक संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। संस्थान का पंजीकरण एम०पी० सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, १९७३ के अधीन रजिस्ट्रार, सोसायटी के यहां किया गया है।

44. **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, (डी. एंड एम.), कांचीपुरम:** वर्ष २००७-०८ के दौरान कांचीपुरम, तमिलनाडु में एक नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की गई है। नए संस्थान का शैक्षिक सत्र शैक्षिक वर्ष २००८-०९ से शुरू हुआ है।

45. **राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई:** राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान, मुम्बई की स्थापना भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से यू.एन.डी.पी. की सहायता से एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में १९६३ में की गई थी। राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम केंद्र के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

46. **राष्ट्रीय गढ़ाई एवं ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची:** राष्ट्रीय गढ़ाई एवं ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची की स्थापना भारत सरकार द्वारा यूनेस्को-यू एन डी पी के सहयोग से वर्ष १९६६ में की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य गढ़ाई, ढलाई तथा संबद्ध प्रौद्योगिकियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शिक्षण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों का आयोजन तथा ऐसे उद्योगों को प्रौद्योगिकीय मार्गदर्शन तथा प्रलेखन सेवाएं प्रदान करना है।

47. **आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली:** आयोजना और वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली ने १९४२ में दिल्ली पॉलिटेक्निक के वास्तुकला विभाग के रूप में मध्यम शुरुआत की थी। बाद में इसे दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध करते हुए टाउन एंड कंट्री आयोजना विद्यालय के साथ समेकित कर दिया गया था जिसकी स्थापना ग्रामीण, शहरी और क्षेत्रीय आयोजना हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई थी। वर्ष १९५९ में समेकन के पश्चात इस स्कूल को आयोजना और वास्तुकला स्कूल के रूप में पुनःनामित किया गया। संस्थान को 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा मिला।

48. **राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान:** ये संस्थान भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई एवं कोलकाता में स्थित हैं और एम.टेक. पाठ्यक्रमों के संचालन के अलावा पॉलिटेक्निकों, उद्योगों तथा समुदाय के लिए आयोजना, डिजाइनिंग, गुणवत्तामूलक शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अध्ययन तथा शैक्षणिक पैकेज आयोजित करने के कार्य में लगे हैं।

49. **संत लॉगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, लॉगोवाल:** संत लॉगोवाल इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वर्ष १९८९ में की गई थी जो कि इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के साथ-साथ व्यावहारिक विज्ञान विषयों में कुशल जनशक्ति के सृजन हेतु एक मॉडल संस्था के रूप में कार्य करता है।

50. **भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद:** भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद की स्थापना खनन उद्योग को प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने हेतु वर्ष १९२६ में की गई। वर्ष १९६७ में भारतीय खनन विद्यालय को केन्द्र सरकार के अन्तर्गत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में परिणत किया गया तथा उसे सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय खनन विद्यालय, धनबाद प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी, पर्यावरणीय विज्ञान और इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, मैकेनिकल इंजीनियरी, व्यावहारिक विज्ञान, मानविकी एवं समाज विज्ञानों के संबद्ध क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षण देने के अलावा खनन, पेट्रोलियम, खनन यांत्रिकी, खनिज इंजीनियरी और भू-विज्ञानों के क्षेत्रों में मानव संसाधन की राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।

51. **प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड:** प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम का कार्यान्वयन 'प्रशिक्षुता अधिनियम, १९६१' के तहत एक वैधानिक जिम्मेदारी है। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्कीम औद्योगिक स्थापनाओं/संगठनों में स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों (तकनीशियनों) और १०+२ स्तर पर व्यवसायान्मुख पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों को प्रायोगिक प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करती है।

प्रशिक्षुता अधिनियम, १९६१ के अधीन राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना चेन्नई, कानपुर, कोलकाता तथा मुम्बई में स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

52. **भारत सरकार का तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम:** यह विश्व बैंक से वित्तपोषित परियोजना है जिसके मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:- (I) शैक्षणिक उत्कृष्टता का विकास (II) इंजीनियरी संस्थाओं की नेट वर्किंग (III) प्रबंधन क्षमता विकास। इसके केंद्रीय सेक्टर के अन्तर्गत १८ संस्थानों को सहायता प्रदान की जाती है।

53. **केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार:** केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम केन्द्र द्वारा वित्तपोषित संस्थान है। यह संस्थान डिप्लोमा स्तरीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करेगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवश्यकताएं पूरी करेगा।

54. **नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान:** सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की मांग को देखते हुए, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में से कुछ संस्थान सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत स्थापित किए जाएंगे।

55. **आयोजना एवं वास्तुकला के नए स्कूल:** आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल को देश और विश्व में मानव आवासों के डिजाइन तथा विकास के सभी पहलुओं में विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में एक प्रमुख संस्थान के रूप में माना जाता है। इसे तथा इसके साथ-साथ और अधिक वास्तुविदों को प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता को देखते हुए, २ और स्कूलों-योजना तथा वास्तुकला स्कूल भोपाल (मध्य प्रदेश) और विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश) की स्थापना की गई है। उन्होंने वर्ष २००८-०९ से अपने शैक्षिक कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं।

56. **इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय:** इस योजना के अन्तर्गत मंत्रालय सभी आई.आई.टी. और आई.आई.एस.सी., बंगलौर को और लगभग ६४ सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों और संस्थानों सहित केंद्रीय वित्तपोषित सरकारी संस्थानों को पूर्ण पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक संसाधन और ग्रंथ विज्ञान डाटाबेस हेतु पहुंच प्रदान करने के लिए अपेक्षित निधियां प्रदान करता है। भागीदारी संस्थान ए.आई.सी.टी.ई. की सहायता से चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की ओर पहुंच पा रहे हैं।

57. **नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** इंजीनियरिंग क्षेत्र में व्यावसायिकों की मांग को देखते हुए ८ नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अनुमोदित किए गए थे और उन्होंने अपने कार्यक्रमों के शैक्षिक सत्र शुरू कर दिए हैं।

58. **भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान:** देश में विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यकता को पूरा करने के लिए पुणे, कोलकाता, मोहाली, त्रिवेन्द्रम और भोपाल में समेकित स्नातक पूर्व शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा और इसी के तहत अनुसंधान के उद्देश्य से स्थापना की गई है।

59 & 60. **मौजूदा पालिटेक्निकों का उन्नयन/नए पालिटेक्निकों की स्थापना:** Xिवी योजना अवधि में मौजूदा पालिटेक्निकों की बुनियादी सुविधाओं का संबर्द्धन करने और जहां कोई पालिटेक्निक नहीं है, में नए पालिटेक्निकों की स्थापना करने की एक नई योजना अनुमोदित की गई है।

61. **नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना:** इंजीनियरी पेशेवरों की मांग को ध्यान में रखते हुए, १० नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना का फैसला किया गया है।

62. **नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना:** 'उत्कृष्टता केन्द्र' के रूप में ७ नए भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जो स्नातकोत्तर कार्यक्रम, फेलोशिप कार्यक्रम, प्रबंध विकास कार्यक्रम और संगठन आधारित कार्यक्रम संचालित करेंगे।

63. **पोलिटैक्रिक्स में महिला छात्रावास:** पोलिटैक्रिक शिक्षा में महिला भागीदारी को बढ़ाने के लिए वर्तमान पोलिटैक्रिकों में महिला छात्रावास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

64. **महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान:** बायोटेक्नोलॉजी, बायोइंफॉर्मेटिक्स, नैनो मेटिरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मेकाट्रनिक्स, हायर परफॉर्मस कम्प्यूटिंग इंजीनियरी/इंडस्ट्रियल डिजाईन, प्रोफेशनल/बिजीनेस एथिक्स और स्किल्स डेवलेपमेंट सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उच्च प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु ५० उत्कृष्ट केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

65. **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद:** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की स्थापना एक सलाहकार निकाय के रूप में वर्ष १९४५ में की गई थी। १९८७ में एक संसदीय अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया जो २८ मार्च 1988 से लागू हुआ। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों में पूरे देश में तकनीकी शिक्षा का योजनागत और समन्वित विकास करना, योजनागत मात्रात्मक संवृद्धि की तुलना में गुणवत्तामूलक सुधार को बढ़ावा देना तथा तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानकों और स्तरों को बनाए रखना शामिल है।

66. **राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान:** राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को २००७ में संसद के अधिनियम के माध्यम से सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया था। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के मुख्य कार्य पूरे देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उपयुक्त योजना और समन्वित विकास करना, ऐसी शिक्षा की सुनियोजित मात्रात्मक वृद्धि की तुलना में गुणवत्तामूलक सुधार को बढ़ावा देना, तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानकों तथा मानदंडों का विनियमन एवं उचित अनुरक्षण करना है।

68. **राज्य इंजीनियरी संस्थाओं का विस्तार और स्तरोन्नयन:** राज्य इंजीनियरी संस्थाओं के स्तरोन्नयन के लिए १.०० करोड़ रु. का सांकेतिक प्रावधान किया गया है।

69. **भारतीय इंजीनियरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना:** एक राज्य विश्वविद्यालय, नामतः बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर को केन्द्र सरकार के तहत एक संस्थान, नामतः भारतीय इंजीनियरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव है।

70. **पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर:** पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर की स्थापना, १९८६ में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी तथा इसके साथ-साथ अनुप्रयुक्त विज्ञान में कुशल जनशक्ति सृजित करने के लिए की गई थी।

71. **अन्य कार्यक्रम:** इसमें एसईएटीओ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजिनियरी के रूप में 1959 में स्थापित एशियन प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक हेतु प्रावधान शामिल है, जिसका उद्देश्य एसईएटीओ सदस्य राज्यों की उच्चतर तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करना है।